संख्या–4183/33–3–2018–15 सी.एम./2013 टी.सी.।।

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ.प्र. लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ** **दिनांक :/८ दिसम्बर, 2018**

विषय : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)" के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2022 तक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया है। उक्त योजना पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता संवर्द्धन हेतु सम्पादित की जा रही है, ताकि पंचायतों के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त किया जा सके। यह योजना नीति आयोग द्वारा चिन्हित् "महत्वाकांक्षी जनपद" एवं मिशन अन्त्योदय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। विगत वर्षो में यह योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से संचालित थी, जिसको पुनर्संरचित करते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के रूप में वर्ष 2018–19 से लागू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत पत्रं सं0–एम.11015/95/2018–सी.बी., दिनांक 18 जुलाई, 2018 से निर्गत मार्गनिर्देशों के अनुसार योजना 60:40 के वित्तीय अनुपात (60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश) में संचालित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों में भी आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा। अतः योजना को 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2022 तक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नांकित मार्गनिर्देश निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान करते है :–

1) योजना का उद्देश्य

पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि हेतु –

- आम आदमी की उत्तरोत्तर भागीदारी सुनिश्चित कर पंचायतों के संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना।
- पंचायतों को 73 वें संविधान संशोधन के अनुरूप अधिकारों का प्रतिनिधायन।
- पंचायतों में जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन।
- संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण।
- पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमताओं का विकास करना जिससे कि सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त किया जा सके।
- उपलब्ध संसाधनों और अभिसरण के बेहतर उपयोग करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।

Amit Sri.

- पंचायती राज संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण और रख–रखाव हेतु उत्कृष्ट संस्थानों का नेटवर्क विकसित करना।
- विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि के लिए संस्थानों को सुदृढ़ करना और उन्हें पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना एवं बुनियादी ढांचे सुविधाएं, मानव संसाधन और परिणाम आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ई–गवर्नेन्स एवं अन्य प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं से पंचायतों को सुदृढ़ करना, जिससे कि पंचायतों की तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके तथा जनसामान्य को बेहतर सेवा प्रदान किया जा सके।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना।

2) योजना के निम्न घटक/गतिविधियाँ होंगीः–

(क) पंचायतों को तकनीकी सहायता।

(ख) ग्राम पंचायत भवन तथा सामुदायिक केन्द्र

- नये ग्राम पंचायत भवन/सामुदायिक हॉल के साथ।
- मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत।
- जन सेवा केन्द्र को समायोजित करने के लिए पंचायत भवन में अतिरिक्त कमरा।
- मौजूदा इमारतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय का निर्माण।
- मौजूदा और नई ग्राम पंचायत इमारतों में विद्युत कनेक्शन और जल आपूर्ति।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करना।

(ग) पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मियों तथा अन्य हितधारकों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण।

(घ) राष्ट्रीय क्षमता संवर्द्धन ढांचे (एन.सी.बी.एफ.) के आधार पर क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु धनराशि उपलब्ध कराना।

(ड़) प्रशिक्षण एक्सपोजर विजिट, हेल्पडेस्क के माध्यम से क्षमता संवर्द्धन करना।

(च) प्रशिक्षण हेतु राज्य जनपद एवं ब्लाक स्तर पर संस्थागत ढांचा तैयार करना।

- राज्य प्रशिक्षण केन्द्र में अतिरिक्त संकाय की स्थापना एवं रख–रखाव।
- क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर में संकाय प्रदान करना एवं संचालन/रख–रखाव करना।
- राज्य, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर का उच्चीकरण।

(छ) दूरस्थ शिक्षा।

(ज) प्रशासनिक एवं वित्तीय आंकड़ा विश्लेषण प्रकोष्ठ की स्थापना।

(झ) पंचायतों का ई–सक्षमीकरण

- पंचायतों में पी.ई.एस. (पंचायत इन्टरप्राइज सूट) का क्रियान्वयन, नये सॉफ्टवेयर का विकास एवं रख–रखाव, सर्वर डाटा सेन्टर, हॉस्टिंग चार्जेज, कनेक्टिविटी,

सिक्योरिटी ऑडिट एवं डिजिटल सिग्नेचर पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था।

- बेसिक एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण।
- हार्डवेयर की स्थापना।
- कम्प्यूटर शिक्षित मैनपावर की उपलब्धता।
- भारत सरकार के सॉफ्टवेयर के साथ प्रदेश सरकार का इन्टरफेस।

(ञ) छोटे तथा आर्थिक विकास के प्रोजेक्ट हेतु फण्ड उपलब्ध कराना।
(ट) अभिनव प्रयोग के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियां।
(ठ) आई.ई.सी. (प्रचार–प्रसार) हेतु विभिन्न गतिविधियां।
(ड) कार्यक्रम प्रबन्धन।

3) योजना के संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया जाता है:–
राज्य स्तर पर चार समितियों का गठन–

(क) राज्य सलाहकार समिति –

• पंचायती राज मंत्री	**अध्यक्ष**
• ग्राम्य विकास मंत्री	**सदस्य**
• पंचायतीराज के क्षेत्र मे काम कर रहे 02 प्रतिष्ठित व्यक्ति	**सदस्य**
• अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी पंचायतों में से 02 पंचायतों के प्रधान, उ0प्र0।	**सदस्य**
• रोटेशन द्वारा 02 जिला पंचायत अध्यक्ष, उ0प्र0	**सदस्य**
• रोटेशन द्वारा 02 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, उ0प्र0	**सदस्य**
• अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन	**सदस्य/सचिव**
• प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन	**सदस्य**
• प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	**सदस्य**
• प्रमुख सचिव, महिला और बाल विकास, उ0प्र0 शासन।	**सदस्य**
• आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।	**सदस्य**
• निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।	**सदस्य**

कार्य एवं दायित्व

राज्य सलाहकार समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्व का निर्वहन किया जायेगा–

- कार्यक्रम की समय–समय पर समीक्षा।
- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों को सलाह देना।

(ख) राज्य संचालन समिति (एस.एस.सी.) –

• मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	**अध्यक्ष**

- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन। **उपाध्यक्ष**
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य सचिव**

निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा भाग न लिये जाने की स्थिति में नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो।

- नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- प्राथमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- निदेशक 'प्रिट' पंचायती राज, उ0प्र0। **सदस्य**
- उप महानिदेशक/राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. लखनऊ। **सदस्य**
- निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0। **सदस्य**
- अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। **सदस्य**
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 02 से अनधिक विशेष आमंत्री सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे।

कार्य एवं दायित्व

राज्य संचालन समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा–

- निश्चित अन्तराल पर योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु समीक्षा किया जाना।
- आर.जी.एस.ए. के दिशा निर्देशों के अनुसार नीतिगत निर्णय लिया जाना ।
- योजना से सम्बन्धित विभागों के बीच अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जाना।

बैठक

उक्त समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी। समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति की विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(ग) राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी.) –

- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन। **अध्यक्ष**
- विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0। **उपाध्यक्ष**
- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि (जो संयुक्त निदेशक के स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो) **सदस्य**
- अपर/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ0प्र0। **सदस्य/सचिव**

- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। **सदस्य**
- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। **सदस्य**
- निदेशक 'प्रिट', पंचायती राज, उ0प्र0। **सदस्य**
- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0। **सदस्य**
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 2 से अनधिक आमंत्री सदस्य भी नामित किये जा सकेगें।

कार्य एवं दायित्व :–

राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्व का निर्वहन किया जायेगा–

- आर.जी.एस.ए. की वार्षिक कार्ययोजना पर स्वीकृति प्रदान करना।
- ऐसे बिन्दुओं का चिन्हांकन जिन पर नीतिगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो।
- कार्यक्रम का अनुश्रवण व प्रगति समीक्षा।
- ऐसे बिन्दु जिनमें अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो, का चिन्हांकन करना।
- कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत कार्यरत सलाहकारों/परामर्शदाताओं एवं कर्मियों की सेवा का विस्तारीकरण करना।
- कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत कार्यरत परामर्शदाताओं/कर्मियों के मानदेय/परामर्शी शुल्क की बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित निर्णय लेना।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आये अवरोधों को दूर किया जाना।
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से नियमित सम्पर्क बनाये रखते हुए प्रगति सूचनाएं एवं धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र आदि भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।
- अभियान के अनुश्रवण एवं बेहतर संचालन के लिए आवश्यक निर्णय एवं दिशा–निर्देश जारी करना, परन्तु कार्योत्तर अनुमोदन स्टेट पंचायत एक्जीक्यूटिव कमेटी से प्राप्त किया जायेगा।
- स्वीकृत योजना के अनुसार योजना की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करना।

बैठक

उक्त समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेगी। समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति की विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(घ) अनुश्रवण समिति –

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष होगें। यह समिति उपरोक्त तीनों समितियों (राज्य सलाहकार समिति, राज्य संचालन समिति व राज्य कार्यकारी समिति) के निर्देशों का अनुपालन करायेगी एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी समिति होगी तथा राज्य, मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेगें। राज्य स्तर पर खाते का संयुक्त संचालन निदेशक/अध्यक्ष, पंचायती राज विभाग एवं उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए. सदस्य सचिव, द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी निर्णय एवं उनका क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा एवं राज्य कार्यकारी समिति के समक्ष बैठक में निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

1. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0। **अध्यक्ष**
2. उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए.। **सदस्य सचिव**
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ0प्र0। **सदस्य**

4) कार्यक्रम प्रबन्धनः–

(I) कार्यक्रम प्रबन्धन के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किये गये परामर्शदाताओं/कर्मियों के परामर्शी शुल्क/वेतन, सहायक सेवाओं, ईधन प्रभारों, किराये पर लिये गये वाहनों के प्रभारों, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर कार्टेज, अभियान की निगरानी और मूल्याकंन, योजनान्तर्गत आयोजित बैठकों आदि पर व्यय की गयी धनराशि तथा कार्यरत मानव संसाधन सम्बंधी आकस्मिक व्यय सम्मिलित होगी।

(II) कार्यक्रम प्रबंधन की 5 प्रतिशत धनराशि का प्रयोग राज्य एवं जनपद स्तर पर पी.एम.यू. की स्थापना तथा आर.जी.एस.ए. योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए किया जायेगा। क्षमता निर्माण, पंचायती राज, सामाजिक विकास, आई.ई.सी, ई गवर्नेन्स, प्रबन्धन, अनुश्रवण और मूल्यांकन इत्यादि में प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता वाले पेशेवर उक्त पी.एम.यू. में आउटर्सोसिंग से रखे जा सकेगें। पूर्णकालिक सलाहकार के साथ–साथ अल्प अवधि सलाहकारों को समय–समय पर भी रखा जा सकेगा। एस.ई.सी. (राज्य कार्यकारी समिति) द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम प्रबंधन के लिए पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स किया जा सकेगा।

(III) अभियान एवं पंचायतों में ई–गवर्नेन्स को कार्यान्वित करने के लिए विशेष/परामर्शदाता योजना अवधि के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर नियुक्त किये जायेगें। परामर्शदाताओं की सेवाओं हेतु मानदेय का भुगतान कार्यक्रम प्रबन्धन मद से किया जायेगा। अनुश्रवण एवं भारत सरकार की बैठकों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों में प्रतिभाग, एक्सपोजर विजिट इत्यादि पर आने वाले यात्रा–भत्ता व्यय आदि का भुगतान नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।

(IV) अनुश्रवण समिति के अधीन राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई का गठन एवं संचालनः–

क्र.सं0	पदनाम	कुल पद
1	अपर/संयुक्त/उपनिदेशक(पं0)/ (नोडल अधिकारी), आर.जी.एस.ए., पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय अधिकारी
2	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय अधिकारी
3	कार्यक्रम प्रभारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय
4	लेखाकार/खजांची	विभागीय

Amit Sri.

5	राज्य परियोजना प्रबन्धक (प्रबन्धन एवं प्रोक्योरमेन्ट)	1
6	स्टेट फाईनेन्सियल कन्सलटेन्ट कम एकाउन्ट एक्सपर्ट	1
7	स्टेट कन्सलटेन्ट–एम.आई.एस. कम तकनीकी एक्सपर्ट, प्लानिंग कम जी.आई.एस.एक्सपर्ट	2
8	स्टेट कन्सलटेन्ट– कैपेसिटी बिल्डिंग, जेण्डर, मीडिया, आई.ई.सी. एवं मानीटरिंग एण्ड इवेल्युएशन व सहभागी नियोजन	2
9	स्टेट कन्सलटेन्ट–आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय	1
10	प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव	2
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
12	ऑफिस स्टाफ/ऑफिस हेल्पर	3
13	टेक्निकल सपोर्ट एक्जीक्यूटिव	1
14	सॉफ्टवेयर डेवलपर	2
15	ऑफिस असिसटेन्ट	2

नोटः– उक्त तालिका में क्रमांक 5 से 15 तक के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेंगे।

(V) राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्य–

(क) योजना की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।

(ख) ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन।

(ग) कार्यक्रम में सम्बन्धित अधिकारिक शासनादेशों का आलेख्य तैयार करना।

(घ) पंचायत इण्टरप्राइज सूट के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।

(ड़) सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना एवं कराना।

(च) योजना के घटकों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्ताव, आर.एफ.पी., ई.ओ.आई. आदि तैयार करना।

(छ) भारत सरकार एवं विभिन्न स्टेक होल्डर से सम्पर्क कर योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना।

(ज) विभाग को तकनीकी एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी परामर्श प्रदान करना।

(झ) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बिड प्रोसेस मैनेजमेन्ट करना।

(ञ) पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों का क्षमता विकास करना एवं कराना।

(ट) योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का लेखे–जोखे का पृथक से रख–रखाव आदि।

(ठ) कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन।

(द) कार्यक्रम का प्रबन्धन करना।

(ध) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य।

योजनान्तर्गत राज्य/जनपद स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात परामर्शदाताओं/अन्य कार्यरत विभागीय कर्मियों का परामर्शी शुल्क, मानदेय, यात्रा–भत्ता, स्टेशनरी, आयोजित बैठकों/ कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों, किराये के वाहनों एवं अन्य कार्यक्रम प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध कार्यक्रम प्रबन्धन मद से किया जायेगा।

राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के नियन्त्रण एवं उनकी देख–रेख तथा मार्ग–दर्शन में कार्य करेगी।

(VI) जिला स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई जनपद स्तर पर निम्नवत् होगी–

इसके अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी (नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए.) उ.प्र. तथा आउटसोंसिंग के माध्यम से जिला परियोजना प्रबन्धक एवं अपर जिला परियोजना प्रबन्धक की सेवायें ली जा सकेगीं। भारत/राज्य सरकार के दिशा निर्देशों तथा धनराशि की उपलब्धता की क्रम में कर्मियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

क्र.सं0	पदनाम	कुल पद
1	जिला पंचायत राज अधिकारी, (नोडल अधिकारी, आर.जी. एस.ए.), उ.प्र.।	विभागीय अधिकारी
2	जिला परियोजना प्रबन्धक (आउटसोर्सिंग से)	1
3	अपर जिला परियोजना प्रबन्धक (आउटसोर्सिंग से)	1

जिला स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के कार्य–

(क) पंचायत इण्टरप्राइज सूट के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।
(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन।
(ग) राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई, डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी. एवं अन्य स्टेक होल्डर से सम्पर्क कर योजना का क्रियान्वयन करना।
(घ) राज्य सरकार द्वारा विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।
(ड़) सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना एवं कराना।
(च) ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण करना।
(छ) विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
(ज) जनपद स्तर पर कार्यक्रम का प्रबन्धन।
(झ) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य।

5) कार्यक्रम प्रबन्धन के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर व्यय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है–

- वाहनों की खरीद।
- भूमि और भवनों की खरीद।
- औपचारिक भवनों और विश्राम गृहों का निर्माण।
- किसी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों पर व्यय।
- उपहार और दान पर व्यय।

6) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को पुनर्संरचित करते हुए आर.जी.एस.ए. के नाम से संचालित किया जा रहा है। अतः आर.जी.पी.एस.ए. में कार्यरत समस्त परामर्शदाताओं/कर्मी, राज्य, मण्डल, जनपद को स्वतः ही आर.जी.एस.ए. में समान शैक्षिक योग्यता एंव अनुभव के साथ समायोजित समझा जायेगा।

7) आउटसोर्सिंग परामर्शदाताओं/कर्मियों हेतु अवकाश–

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग परामर्शदाताओं/कर्मियों हेतु चालू वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) के अन्तर्गत अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश तथा 07 दिवस का चिकित्सकीय अवकाश अनुमन्य होगा।

8) उपभोग प्रमाण–पत्र–

Amit Sri.

निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 कार्यपूर्ति के पश्चात् उपभोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजे जाने के लिए सक्षम अधिकारी होगें एवं जनपदों से उपभोग प्रमाण–पत्र संकलित कर भारत सरकार को प्रदान करेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. श्री के0एस0 सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज, मंत्रालय भारत सरकार।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव, महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त मा0 सदस्य उपरोक्त से सम्बन्धित समिति हेतु।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

Amit Sri.